स्कूल शिक्षा परिवार

गैर सहायता एवं गैर रियायत प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं का संघ जयपुर (राज.)

न सहायता न रियायत – फिर क्यों नहीं हम स्वायत्त?

Reg. No. 395/14

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदया,

राजस्थान सरकार , जयपुर दिनॉक .....

द्वारा – श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, ...

विषय – मंत्रीमण्डलीय उप समिति गठित कर वार्ता बाबत बुलाने बाबत निवेदन ।

प्रसंग – शिक्षा मंत्री श्री वासुदेव देवनानी के द्वेषतापूर्ण रवैये के कारण

महोदया

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग मे निवेदन है कि शिक्षा मंत्री श्री वासुदेव देवनानी का रवैया समस्त निजी स्कूलो के प्रति पूर्वागृह ग्रसित है जिसकी वजह से पिछले दो वर्षो मे उन्हौने निजी स्कूलो को परेशान/हानि पहुँचाने के लिए नित नए अवैद्यानिक आदेश निकलवा देते है ।

हम लोग पढाई से ध्यान हटा कर उनके विरोध मे लग जाते है जिससे हमारी सारी शिक्षण व्यवस्था चौपट हो गई है । बडे स्कूलो को परवाह नही लेकिन गॉव–गॉव मे शिक्षा के प्रसार एवं जीवन यापन के लिए चलने वाली छोटी शिक्षण संस्थाएँ बंद होने के कगार पर है ।

हमे लगा आप इन्हे बदल देगी लेकिन नही बदलने से हमारे धेर्य का बॉध टूट चुका है अब हम आपसे आखरी निवेदन कर रहे है कि आप एक मंत्रीमण्डलीय समिति बना कर हमसे वार्ता कर हमारे साथ हो रहे अन्याय से हमे मुक्त करावे अन्यथा मजबूरन हमको ऑन्दौलन /विरोध का रास्ता अपनाना पडेगा जिसका असर सरकार पर हो कर रहेगा ।

यह हमारे अस्तितव /जीवनयापन की लडाई है जिसके लिए हम सरकार /बीजेपी के हर द्वारा पर जा रहे है यदि न्याय मिला तो थैक्स कहेगे एवं साथ देगे वर्ना अपने अस्तितव को बचाने के लिए सरकार बदलने के प्रयास मे सबसे पहले हम रहेगे ।

जिला प्रभारी ..... जिलाध्यक्ष .....

संलग्न – मॉग पत्र ..

413 , Mansarovar Plazza, Madhyam Marg, Mansarovar . 302020 9667550209

Email - Shikshaparivar@Gmail.com

स्कूल शिक्षा परिवार

गैर सहायता एवं गैर रियायत प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं का संघ जयपुर (राज.)

न सहायता न रियायत – फिर क्यों नहीं हम स्वायत्त?

Reg. No. 395/14

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदया,

राजस्थान सरकार , जयपुर दिनॉक .....

द्वारा – श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, ...

विषय – मंत्रीमण्डलीय उप समिति गठित कर वार्ता बाबत बुलाने बाबत निवेदन ।

प्रसंग – शिक्षा मंत्री श्री वासुदेव देवनानी के द्वेषतापूर्ण रवैये के कारण

महोदया

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग मे निवेदन है कि शिक्षा मंत्री श्री वासुदेव देवनानी का रवैया समस्त निजी स्कूलो के प्रति पूर्वागृह ग्रसित है जिसकी वजह से पिछले दो वर्षो मे उन्होने निजी स्कूलो को परेशान/हानि पहुँचाने के लिए नित नए अवैद्यानिक आदेश निकलवा देते है ।

हम लोग पढाई से ध्यान हटा कर उनके विरोध मे लग जाते है जिससे हमारी सारी शिक्षण व्यवस्था चौपट हो गई है । बडे स्कूलो को परवाह नही लेकिन गॉव–गॉव मे शिक्षा के प्रसार एवं जीवन यापन के लिए चलने वाली छोटी शिक्षण संस्थाएँ बंद होने के कगार पर है ।

हमे लगा आप इन्हे बदल देगी लेकिन नही बदलने से हमारे धेर्य का बॉध टूट चुका है अब हम आपसे आखरी निवेदन कर रहे है कि आप एक मंत्रीमण्डलीय समिति बना कर हमसे वार्ता कर हमारे साथ हो रहे अन्याय से हमे मुक्त करावे अन्यथा मजबूरन हमको ऑन्दौलन /विरोध का रास्ता अपनाना पडेगा जिसका असर सरकार पर हो कर रहेगा ।

यह हमारे अस्तितव /जीवनयापन की लडाई है जिसके लिए हम सरकार /बीजेपी के हर द्वारा पर जा रहे है यदि न्याय मिला तो थैक्स कहेगे एवं साथ देगे वर्ना अपने अस्तितव को बचाने के लिए सरकार बदलने के प्रयास मे सबसे पहले हम रहेगे ।

ब्लॉक प्रभारी ..... ब्लॉकध्यक्ष .....

संलग्न – मॉग पत्र ..

413 , Mansarovar Plazza, Madhyam Marg, Mansarovar . 302020 9667550209

Email - Shikshaparivar@Gmail.com

स्कूल शिक्षा परिवार

गैर सहायता एवं गैर रियायत प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं का संघ जयपुर (राज.)

न सहायता न रियायत – फिर क्यों नहीं हम स्वायत्त?

Reg. No. 395/14

मॉग पत्र

1. **भारत सरकार द्वारा केवल छात्रो का डाटा बेस** मॉगा गया है लेकिन आयुक्त प्रा0शि0 परिषद जयपुर ने **(10645/10646 date 9-11-2016)** अन्य बहुत सी अप्रांसगिक गोपनीय जानकारियॉ मॉगी है, जो आरटीआई अधिनियम के तहत भी छूट प्राप्त है । अत : अप्रासंगिक जानकारी मॉगने वाला आदेश वापस लिया जाए ।
2. **आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12()1 के अनुसार निजी शिक्षण संस्थाओं मे अध्ययनरत बालको के पुन : भरण हेतु 65% पैसा केन्द्र सरकार देती है तथा बाकायादा नियम बना रखे है जिसके तहत निजी स्कूल की वास्तविक सत्यापित फीस अथवा राज्य सरकार का प्रतिबालक खर्च – जो भी कम हो , का भुगतान हर हाल मे किया जायेगा लेकिन शिक्षा विभाग विगत दो वर्षो से विधि विरूद्व आदेश जारी कर हमे 2013–14 के सत्र की फीस के हिसाब से भुगतान कर रहे है जबकि नियमानुसार प्रत्येक सत्र की वास्तविक फीस का भुगतान करना चाहिए । प्रत्येक स्कूल को हजारो का नुकसान हो रहा है।**
   अत : शिक्षा विभाग अपना आदेश वापस लेते हुए नया आदेश निकाले ।
3. आवठी बोर्ड अंग्रेजी माध्यम की किताबे नवम्बर 2016 मे छापी गई है तो परीक्षा किस प्रकार संभव है – अत : अंग्रेजी माध्यम को इस वर्ष छूट दी जाए ।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मे मंत्री के निर्देश पर निजी विद्यालय कार्मिको को ड्यूटी पर नही लगाने का आदेश बोर्ड वापस लेकर पूर्व की तरह व्यवस्था बहाल करे ।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा प्रणाली व मान्यता प्रणाली सीबीएसई की तर्ज हो ना कि मनमर्जी वाली । इस बारे मे कमेटी बने जो विचार करे ।
6. आरटीई एडमीशन/भौतिक सत्यापन /पुन : भरण का सिस्टम समयबद्व हो ।
7. मान्यता अधिनियम 1989 मे संशोधन हेतु कमेटी बने जिसमे हमारे प्रतिनिधि हो ।
8. निजी विद्यालय के कार्मिको को भी भामाशाह स्वाथ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए
9. अन्य मॉगे जो वार्ता के दौरान रखी जायेगी ।

जिलाध्यक्ष/प्रभारी

अनिल शर्मा – प्रदेशाध्यक्ष

413 , Mansarovar Plazza, Madhyam Marg, Mansarovar . 302020 9667550209

Email - Shikshaparivar@Gmail.com